न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्या:135/2020

1. राजू पुत्र सेवाराम
2. भेरू पुत्र सेवाराम
3. सेनी देवी पत्नी सेवाराम
4. मेवाराम पुत्र भोलू
5. हीरालाल पुत्र भोलू
6. गीता देवी पत्नी गणेश
7. सुरेश पुत्र गणेश
8. सरिता पुत्र गणेश नाबालिक बविलायत माता गीता देवी जाट स्वयं
9. नन्दा पुत्र झूथा
10. बालू पुत्र भागीरथ
11. रतन पुत्र भागीरथ
12. किशन पुत्र भागीरथ
13. छोटू पुत्र भागीरथ
14. मूलचन्द पुत्र भागीरथ

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामदेव(मृतक दौराने अपील)
   - 1.1. कल्याण पुत्र गोपाल
   - 1.2. गौरीशंकर पुत्र गोपाल
   - 1.3. बिमला पुत्री गोपाल पत्नी लालाराम

   समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बोराज, तहसील फुलेरा, जयपुर।
2. गोविन्द पुत्र रामदेव
3. गोगा देवी पुत्री रामदेव
4. कोयली देवी पुत्री रामदेव
5. सुवा पुत्र धन्ना (मृतक दौराने अपील)
   - 5.1. राजू पुत्र सुवा
   - 5.2. कानाराम पुत्र सुवा
   - 5.3. सेवाराम पुत्र सुवा
   - 5.4. घनश्याम पुत्र सुवा
   - 5.5. सांजा देवी बेवा सुवा

   समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बोराज, तहसील फुलेरा, जयपुर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

6. प्रेम देवी पुत्री सेवाराम
7. संतोष देवी पुत्री सेवाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

8. मन्नी देवी पुत्री सेवाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

9. सीमा देवी पत्नी सेवाराम
10. गोरा देवी पुत्री गोमाराम
समस्त निवासी: तहसील फुलेरा, जिला जयपुर |

.......तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 02.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जयपुर वाद पत्र संख्या 450/2016 उनवान गोपाल व अन्य बनाम राजू अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:-निर्णय-:

दिनांक 10/3/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 02/03/2020 प्रार्थना पत्र संख्या 450/2016 बउनवानी गोपाल व अन्य बनाम राजू व अन्य के विरुद्द अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है |
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क बाबत रास्ते हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 648/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 679/3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ग्राम महेशवास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी को अपनी भूमि कि बाजोत काश्त करने के लिये व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिये तथा अपनी भूमि पर बने आवासीय मकानों में आने जाने के लिये व मवेशियों को लाने ले जाने के लिये सुविधानुसार रास्ता खसरा नम्बर 648/2 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 682/6 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 684/4 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 684/5 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा ग्राम महेशवास तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में से मार्क ए से बी के दक्षिणी सीमा के सहारे व सी से डी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 10 फिट रास्ते की आवश्यकता है | प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त करा सकता है एवं कृषि यंत्रो को लाने ले जाने व पशुओ ले लिये चारा वगैराह लाने ले जाने में उसको सुविधा मिल सकती है इस कारण प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जावे | प्रार्थी उक्त रास्ते के लिये धारा 251ए के अनुसार भूमि के बदले भूमि या निर्धारित राशि जमा करवाने को तैयार एवं तत्पर है | अंत में प्रार्थी ने अनुतोष चाहा है खसरा नम्बर 648/2 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 682/6 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 684/4 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 684/5 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा ग्राम महेशवास तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में से मार्क ए से बी व सी से डी में दर्शित रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जावे | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 02/03/2020 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी की आराजीयात में से रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की |

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई | वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गयी | दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रास्ते के उपयोग में बाधा नही डालने का अनुतोष चाहा है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है | पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 10/11/2018 को आपसी समझौता हुआ है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने समझौता पत्र की शर्तो की पालना नही की है | विचारण न्यायालय के समझौते के बारे में निर्णय करना चाहिये था | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की गई है वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है जो विधि अनुसार मान्य नही है | प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार था, को पक्षकार नही बनाया गया | प्रकरण का 90 दिन में निर्णय किया जाना था परन्तु प्रकरण के निर्णय में 4 वर्ष का समय लगाया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवाये गये थे कि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर क़ानूनी त्रुटि कारित की है | इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02/03/2020 ख़ारिज फरमाया जावे | अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टात आर.बी.जे. 2016(23) पेज 338, आर.बी.जे. 2019 (26) पेज 443, आर.बी.जे. 2017 पेज 687, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 403 पेश किये | वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है | विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की वैकल्पिक रास्ते हेतु प्रारम्भिक आपत्ति को ख़ारिज किये जाने के आदेश को पुनरीक्षण (REVISION) में माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 09/08/2018 से यथावत रखा | अपीलान्ट के समझौता पत्र की पालना करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व 3 सी.पी.सी. अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर ख़ारिज कर दिया कि रेस्पोडेन्ट (प्रार्थना पत्र के प्रार्थी संख्या 3 व 4) के समझौता लिखावट पर हस्ताक्षर नही है तथा समझौत की शर्तो का पालन नही किया गया है | रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में उक्त आदेश के पुनरीक्षण(रिवीजन) का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है न ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने न्यायालय हाजा की पत्रावली को तलब किया है | प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया था | न्यायालय द्वारा प्रकरण के संबंध में तहसीलदार से मांगी गयी रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था | अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में दो बार पुनरीक्षण(REVISION) प्रार्थना पत्र पेश कर 4 वर्ष तक निर्णय नही होने दिया |

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की और आकृष्ट किया कि पक्षकारान सहखातेदार थे, उक्त सयुक्त जोत के विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

में खसरा नम्बर 684/2 व 648/3 की आराजी की पूर्वी दिशा तक ही रास्ता कायम किया गया | रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 648/1 है जो खसरा नम्बर 684/2 व 648/3 के आगे पश्चिम में स्थित है, हेतु रास्ता कायम नही किया गया | खसरा नम्बर 679/3 हेतु भी रास्ता विभाजन में दर्ज नही किया गया | इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञां का रेस्पोडेन्ट्स का दावा ख़ारिज करते हुये विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट्स को धारा 251क के तहत कार्यवाही करने का विकल्प प्रदान किया था | इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र किसी भी कानून से बाधित नही है | अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने यह नही बताया है कि निर्णय में राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के किस प्रावधान का पालन नही हुआ है | विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता न होने के महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर रा.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन कर विधिपूर्वक निर्णय पारित किया है | अत: अपील अपीलान्ट ख़ारिज फरमाई जावे |

4. अपील मीमो तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया | धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियाम सपठित नियम 69 राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के तहत निर्णय करने हेतु यह आवश्यक है कि रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न होने के तथ्यों को सुनिश्चित कर लिया जावे | इस हेतु ऐसे अधिकारी जो भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे स्तर का न हो, की मौका रिपोर्ट का अवलोकन, परीक्षण एवं समस्त पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना भी अति आवश्यक है | अपीलान्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत रास्ते के उपयोग में बाधा डालने के अनुतोष के स्थायी निषेधाज्ञा के दावे के आधार पर वैकल्पिक रास्ता होने के तथ्य को प्रमाणित करने का प्रयास किया परन्तु भू.अ. निरीक्षक हिरनोदा की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शे से प्रमाणित है कि रिकार्ड में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है | विभाजन में भूलवश रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आये खसरा नम्बरान तक जाने का रास्ता कायम नही किया गया | प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है जो भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से प्रमाणित है | विचारण न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता न होने को सुनिश्चित करते हुये एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये आलोच्याधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि कारित नही की है | फलस्वरूप न्यायालय हाजा द्वारा अपील अपीलान्ट ख़ारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है |

5. अत: अपील अपीलान्ट ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02/03/2020 यथावत रखा जाता है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | बाद दाखिल दफ्तर हो |

6. निर्णय आज 10/3/2021 को खुले न्यायालय ने सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर